बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0सं0– पि०व०/7/आ0क0वि0प्र0 एवं संधा0–39–12/2023 111 पटना, दिनांक– 16/2/26

कार्यालय आदेश

श्री विक्रम आदित्य उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (कार्यकारी प्रधानाध्यापक), अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, सुपौल के विरूद्ध शिकायत अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी वीरपुर–सह–विद्यालय नोडल पदाधिकारी के पत्रांक–वि0नो0प0–01/2026–07, दिनांक–09.02.2026 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2– प्राप्त शिकायत के आलोक में विभागीय पत्रांक–100, दिनांक–11.02.2026 द्वारा उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा एवं जिला पदाधिकारी, सुपौल को जाँच कर मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

3– विभागीय निदेश के आलोक में उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा का पत्रांक–54, दिनांक–14.02.2026 (प्रति संलग्न) एवं जिला पदाधिकारी, सुपौल का पत्रांक–91, दिनांक–14.02.2026 (प्रति संलग्न) द्वारा श्री विक्रम आदित्य उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (कार्यकारी प्रधानाध्यापक), अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, सुपौल के विरूद्ध शिकायत को सही पाया गया एवं श्री आदित्य (प्रभारी प्रधानाध्यापक) ,बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के कंडिका–3 (1) और बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 का उल्लंघन मानते हुए विभाग से निलंबन की अनुशंसा की गयी।

4– जाँच प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसा के आलोक में श्री विक्रम आदित्य उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (कार्यकारी प्रधानाध्यापक), अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, सुपौल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

5– श्री आदित्य (कार्यकारी प्रधानाध्यापक) को निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

6–श्री आदित्य (कार्यकारी प्रधानाध्यापक) के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर अलग से विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की कार्रवाई की जायेगी।

7–प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

16/2/26
(अनिल कुमार ठाकुर)
निदेशक।

P.T.O

"D:\MD ARIF\Office Order\Office Order.docx"

ज्ञापांक– पि०व०/7/आ0क0वि0प्र0एवं संधा0–39–12/2023 111 पटना, दिनांक– 16/2/26
प्रतिलिपिः–जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

मामले से संदर्भित कागजात संलग्न कर निदेश है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत श्री विक्रम आदित्य उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (कार्यकारी प्रधानाध्यापक), अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, सुपौल के विरूद्व आरोप पत्र का गठन कर ससमय विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

16/2/26
निदेशक।

ज्ञापांक– पि०व०/7/आ0क0वि0प्र0एवं संधा0–39–12/2023 111 पटना, दिनांक– 16/2/26
प्रतिलिपिः–उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/2/26
निदेशक।

ज्ञापांक– पि०व०/7/आ0क0वि0प्र0एवं संधा0–39–12/2023 111 पटना, दिनांक– 16/2/26
प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशालय कोषांग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

16/2/26
निदेशक।

ज्ञापांक– पि०व०/7/आ0क0वि0प्र0एवं संधा0–39–12/2023 111 पटना, दिनांक– 16/2/26
प्रतिलिपिः– श्री विक्रम आदित्य उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (कार्यकारी प्रधानाध्यापक), अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं ससमय अनुपालनार्थ प्रेषित।

16/2/26
निदेशक।

ज्ञापांक– पि०व०/7/आ0क0वि0प्र0एवं संधा0–39–12/2023 111 पटना, दिनांक– 16/2/26
प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/2/26
निदेशक।